

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 736816

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

हम कि मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव व गिरधर यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ इस ट्रस्ट कं संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 24-05-2010 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी समाज सेवा जिरामे मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भावस्था के उत्थान, अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट का स्थापना करते हैं। मैं मुरलीधर यादव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व गिरधर यादव महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट नामक ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते हैं ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम-	श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास)	
ट्रस्ट का पता-	मुहल्ला	गालिवपुर (भीटी)
	पोस्ट	मऊनाथ भंजन
	थाना	कोतवाली
	परगना	सदर
	ब्लॉक	सदर
	जनपद	मऊ

मुख्यालय- पंजीकृत कार्यालय मु०-गालिवपुर (भीटी) मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, उत्तर प्रदेश। आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

- (1) श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
- (2) श्री गिरधर यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
- (3) श्री रामलखन यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदस्य)
- (4) श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० वंशी, ग्रा०-बुढनापुर, किडिहरापुर, बलिया (सदस्य)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 73681

(2)

- ध (5) श्री हरिनाथ सिंह यादव पुत्र स्व० पूर्णमासी, ग्रा०-देऊपुर, गाँव, गाजीपुर (सदरस्य)
 ध (6) श्रीमती निर्मला पत्नी श्री विजय गहादुर, ग्रा०-तेन्दुली, पलियाद, मऊ (सदरस्य)
 ध (7) श्रीमती विभा यादव पुत्री श्री शिवशंकर यादव, मु०-गालियपुर (भीटी), मऊ (सदरस्य)
 ध (8) श्री विजय शंकर यादव पुत्र श्री जगरनाथ यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदरस्य)
 ध (9) रेखा यादव पुत्री विजय शंकर यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदरस्य)

द्रस्ट का नाम- श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्याऊ)

द्रस्ट का पता- मु०-गालियपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ


द्रस्ट का मुख्यालय- मु०-गालियपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ

द्रस्ट का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारतवर्ष

द्रस्ट का मुख्य उद्देश्य- द्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा, भौतिक शिक्षा एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम व उच्च शिक्षा के अभाव में दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा को देश-प्रदेश को-कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, स्थापना करना, कम शुल्क में शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा के लिए द्रस्ट हर सम्भव प्रयत्नशील रहेगा। द्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर संचालन के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व दलितों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालन करना, विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी शिक्षा, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइव हेल्थ केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना।

(Handwritten Signature)

(Dr. Gaurav Singh)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 73681

(3)


आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। इस सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस भूमि से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, विभिन्न कालेजों, सी०बी०एस०ई० के स्कूलों की स्थापना उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। निकट भविष्य में समस्त जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण (बी०टी०सी०) संस्थान, सोनादेवी बालिका महाविद्यालय विजय कॉलेज आदि संस्थानों में साइन्स, जगरनाथ जी विधि महाविद्यालय, विजय इंजीनियरिंग कॉलेज आदि संस्थाओं में प्रारम्भ की जाएगी। भविष्य में अन्य जो भी संस्थाएँ खोली जाएँगी उनका नाम ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा।

ट्रस्ट का कार्यकाल— संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहे अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी या पुत्र/पुत्री का पद हो संस्थापक ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का नाम निर्धारित होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता— श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत मान्य न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता— ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय मित्याकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से 1,00,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया सदस्य प्रवेश करवाया जा सकता है तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट एक अलग से प्रवन्धकारणी समिति बन सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के अतिरिक्त रु० 25,000.00 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा परन्तु प्रवन्ध समिति में प्रवन्धक संस्थापक ट्रस्टी तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रवन्धक भी संस्थापक ट्रस्टी ही होगा।

(Dr. Gaur Shankar)
Principal
S. G. N. Govt. C. Coll.
Muzaffarnagar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 73431

(4)

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम -


- 1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के वित्तों का आवश्यक निर्देश देगा।
- 2- संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमन््य होंगे।
- 3- संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रथम।
- 4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
- 5- आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निष्पत्ति का ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार अवगत कराना मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।
- 8- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि भवन का काल-विक्रय लीज (पट्टा) काला एव वित्तों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
- 9- ट्रस्टी चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या लीज कर सकता है।
- 10- ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं उसे अपने कर-वित्तों में संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, मिलान व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी को सुरक्षित है।
- 12- संस्थापक ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13- किसी भी सामान्य उद्देश्य से संस्था/समिति का संचालन एवं उसका वित्तों का प्रबंधन कर सकता है।

(Dr. Ganga Sharan)

Principal

S. G. N. Govt. P. G. Co.

Muzaffarnagar, U.P.



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

AE 73082

(5)

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

- 1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए निर्देश देना।
- 4- नये गट्टियों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।
- 5- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति विभागात्मक पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार महासचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रयत्न करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
- 8- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों के इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्टी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।


- 1- साधारण सभा
- 2- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)-

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलकर किया जायेगा।

(Dr. Gaur Shankar
Principal)

S. G. N. Govt. P. G. Coll
Muhamm. Jubbulpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 73682

(6)

॥ बैठकें-

॥ 1- साधारण बैठकें- ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितंबर माह में होगी।

॥ 2- विशेष बैठक- दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

॥ सूचना अवधि- साधारण सभिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट सभिति का महाराष्ट्र राज्य सभापति द्वारा एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दरती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

॥ गणपूर्ति- बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का योग्य उपस्थिति होना आवश्यक है। गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

॥ विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

॥ ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य- साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य समूह (अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।

॥ (ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निरमित करना।

॥ (स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सभिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।


॥ (द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना या सभिति के दि. में हो।

॥ ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी सभिति-

॥ गठन- साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी सभिति का गठन किया जायेगा जिसमें नि. पद होंगे। प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य भा. कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक ट्रस्टी का होगा या संस्थापक ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा।

Handwritten signature


अन्तर्दिष्ट नाम सभ का फिंगर प्रिन्ट




क्र.सं. नाम पदव्यय अनामक/अनामिका




क्र.सं. नाम पदव्यय अनामक/अनामिका




क्र.सं. नाम पदव्यय अनामक/अनामिका



क्र.सं. नाम पदव्यय अनामक/अनामिका



क्र.सं. नाम पदव्यय अनामक/अनामिका




क्र.सं. नाम पदव्यय अनामक/अनामिका

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Dr. Gauri Shankar)
S. G. N. Govt. Hospital, Gurgaon
Muhammadsoud Gohel (M.A.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 736821

(7)

संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के सहमति से 25,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी एक संस्था के लिए होंगे, उनका अधिकतम संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट के सदस्यों से अलग होंगे तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं नया बनाया या किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की भोग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक माह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दरती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग तथा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या विवाहोपान या पण्डित हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय का अनुमोदन आवश्यक

(Dr. Gaur Shankar)

Principal

S.G. N. C. P. G. S. C. S. C.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 73682

(8)

है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की नियुक्ति मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,000.00 रुपये नगद या उतने की मर्यादा में होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत हानी संस्थापक ट्रस्टी

प्रबंधकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य- प्रबंधकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

- 1- बैठक बुलाना अथवा बैठक विस्तर्णित करना।
- 2- ट्रस्ट (न्यास) का प्रबंधन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबंधन करना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विदाय आदि का अनुमोदन करना।
- 4- आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी समिति के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधकारिणी ट्रस्ट (न्यास) का नियमावली में संशोधन

1 एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कठिंग अशुद्धि, संशोधन छूट हुए शब्द अथवा कथन बनाने का अधिकार प्रबंधकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22- ट्रस्ट (न्यास) के कोष-

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीय बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी संगुप्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबंधकारिणी समिति के प्रबंधक द्वारा किया जायेगा।

(Signature)
Principal
G.N.C.




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

- 23- ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का दैनिक परीक्षण-
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का दैनिक परीक्षण कराया जायेगा।
- 24- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा पदाधिकारी के निमित्त नियुक्त कर सकती है।
- 25- ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-
ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे-सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैंसलर ट्रस्टी के पास होंगे।
- 26- श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से ₹ 25,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।
- 27- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।
- 28- ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक ट्रस्टी का होगा।
- 29- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, हायर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं रनातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्रायोगिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

(Dr. Gopal Singh Kar)

(Signature)
Munam Road, Goh...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

- 29वीं- संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाले सुविधाओं को प्रदान करना।
- 29सी- केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजनाओं का जनता के बीच में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को विशेष रूप से उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।
- 29डी- आयकर अधिनियम 1961 की सुरंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक : 24 मई 2010

Handwritten signature and text:
 ...
 ...
 ...

दस्तखत गवाह

Handwritten signature of the witness.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature/initials.

Handwritten text line with a horizontal line underneath.



Handwritten signature and text at the bottom of the page.

(Dr. Gauri Shankar)
Principal


37... 108 रुक. मी. रुपये


24-05-10

संस्था

श्रमवन्त

(28)



श्रीम. मारायण सिंह श्रमवन्त संस्था
श्री. नं. 19, 18, कोरा - मऊ



आज दिनांक 24/05/2010 को
वही सं. 4 जिल्द सं. 7
पृष्ठ सं. 339 से 360 पर क्रमांक 10

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


एम0पी0यादव
उप निबंधक सदर
मऊ
24/5/2010

